

**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**  
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध-01-178/2026

पटना, दिनांक :- / /2026

डॉ० पारुल उपाध्याय, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), कान, नाक एवं गला विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-20.07.2026 से 15.01.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के द्वितीय सतान हेतु दिनांक-20.07.2026 के प्रभाव से मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध- 01-178/2026- 1049/17) पटना, दिनांक :- 20/08/2026

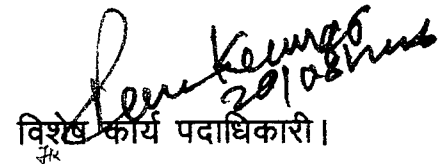
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० पारुल उपाध्याय, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), कान, नाक एवं गला विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।